SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले के छीजित बच्चों की शैक्षिक स्थिति – शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में

विद्यावती कुमारी, शिक्षा विभाग
राधागोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
विद्यावती कुमारी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/12/2023
Revised on : -----
Accepted on : 28/02/2024
Overall Similarity : 00% on 20/02/2024

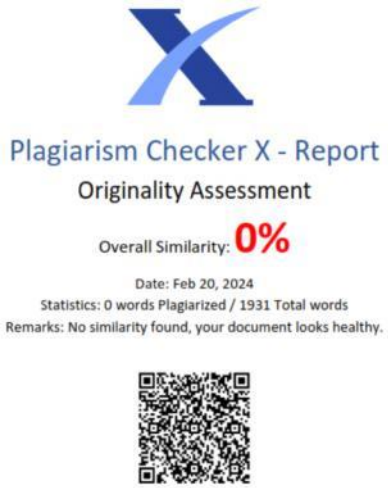

शोध सार

शिक्षा मनुष्य के सर्वांगिन विकास के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है। झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले में अन्य जगहों की भाँति छीजन की समस्या गंभीर है। छीजन की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम चलाए गए हैं जैसे– स्कूल रुआर – 2022, सेतू गाइड कार्यक्रम, डहर रूप का प्रारंभ, स्कूल रुआर – 2023, 'प्रयास' इत्यादि। इन कार्यक्रमों के द्वारा हजारीबाग जिले में छीजन की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है तथा उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है।

मुख्य शब्द

रुआर, डहर, छीजन, प्रयास.

परिचय

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संबर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। शिक्षा के महत्व को देखते हुए हमारे देश में विभिन्न शिक्षा नितियों तथा अधिनियमों का निर्माण किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों तथा स्थानीय पदाधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया ताकि जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय का निर्माण हो सके। वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों का केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच बंटवारा किया गया। विद्यालयों के कामकाज की

निगरानी के लिए स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित किए गए।

माता– पिता / संरक्षक के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया किया कि वे 6–14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए जरूर भेजें। सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगें ही और साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने होंगे। सरकारी विद्यालय ना तो दान याचना लेगा और ना ही बच्चे के चयन के लिए कोई प्रक्रिया अपना सकेगा। जन्म प्रमाण पत्र के आभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। बालक को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएँ विद्यालय में नहीं दी जाएगी। छात्र शिक्षक अनुपात – 1 शिक्षक पर 40 छात्र होगा। शिक्षकों पदों को भरा जाएगा। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों मे संलिप्तता को रोका जाएगा। पाठ्यक्रम को सरल, बहुमुखी बनाते हुए मूल्यांकन को सतत तथा व्यापक बनाया जाएगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण तथा देखभाल किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केन्द्र में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् तथा राज्य में राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी इत्यादि। छीजन की समस्या को रोकने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 में विभिन्न प्रावधान किए गए इसके ताकि सभी बच्चे अपने प्रारंभिक तथा मौलिक शिक्षा को पूरी कर सके। इसके बावजूद हमारे प्रदेश में राज्य में छीजन की समस्या गंभीर है। झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले के बच्चों के छीजन का विशेष अध्ययन किया गया। हजारीबाग जिला में 16 प्रखण्ड हैं। सभी प्रखण्डों में कोरोना काल में छीजन की दर में जबर्दस्त उछाल पाया गया। कोरोना काल में आर्थिक तंगी, विस्थापन, अस्वस्थता, पारिवारिक संकट इत्यादि के कारण बच्चे विद्यालय छोड़ने के लिए विवश हो गए थें। छीजन की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की ओर से राज्य के सभी विद्यालयों में '' स्कूल रुआर, 2022 '' का प्रारंभ किया गया जिसमें सभी विद्यालयों को 2020–21 में चिन्हित छीजित बच्चे जो वित्तीय वर्ष 2021–22 में नामांकित नहीं कराए जा सके थे, उन बच्चों की सूची प्रबंध पोर्टल (2021–22) से डाउनलोड कर संबंधित सभी स्टेकहोल्डर्स को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया ताकि इन बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराया जा सके। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में भी चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची डहर एप या प्रबंध पोर्टल से डाउनलोड कर संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध कराने एवं इनका विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इन बच्चों का नामांकन हो जाने पर नामांकित विद्यालय एवं विद्यालय U-DISE Code बच्चेवार संधारित करने एवं इन बच्चों के नामांकन संबंधी प्रतिवेदन प्रबंध पोर्टल (2021–22) एवं (2022–23) में संबंधित वर्ष के पोर्टल में अद्यतन करने का आदेश दिया गया। झारखण्ड के तमाम स्कूलों में छीजित बच्चों के पहचान करने और उन्हें दुबारा विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास पहल की गई। इसके तहत डहर एप लाया गया और प्रत्येक विद्यालय को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने पोषक क्षेत्र के 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का आँकड़ा इस रूप में संधारित करना सुनिश्चित करें। डहर का उद्देश्य है विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का खोज करना, उस बच्चों का नामांकन किसी नजदीक के विद्यालय में कराना और उस बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्य धारा से जोड़ना। उपरोक्त कार्यक्रमों के संचालन की बजह से हजारीबाग जिले में सत्र के अनुसार छीजन की स्थिति निम्नलिखित रही

छीजित बच्चों का सत्र के अनुसार ऑकड़ा

क्र.सं.	प्रखण्ड	2021–2022	2022–2023
01	बरही	109	2
02	बड़कागॉव	253	2
03	बरकट्ठा	44	–
04	विषणुगढ़	853	16
05	चलकुषा	353	–
06	चौपारण	528	2

07	चुरचू	2426	7
08	डाडी	469	—
09	दारु	195	—
10	हजारीबाग	362	2
11	ईचाक	344	1
12	कटकमदाग	294	4
13	कटकमसांडी	1084	59
14	करेडारी	1064	3
15	पदमा	142	47
16	टाटीझरिया	330	2
	कुल	8850	147

उपरोक्त आँकड़ों को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोरोना की वजह से बच्चों के छीजन में जबर्दस्त उछाल पाया गया लेकिन अगले ही सत्र में सरकार द्वारा चलाए गए विनिन्न कार्यक्रमों और प्रयासों की वजह से उसमें काफी कमी आई है तथा वह घट कर 147 रह गया हजारीबाग जिले में छीजन का मुख्य कारण आर्थिक तंगी पाई गई। आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे स्कूल छोड़कर ईटा भट्टा में, विभिन्न छोटे– छोटे कारखानों तथा होटलो इत्यादि में काम करने के लिए विवश है। यदि वे काम नहीं भी कर रहे हैं तो वे अपने माता–पिता की अनुपस्थिति में अपने छोटे भाई–बहनों की देखरेख तथा घर के कार्यों को संभालने में (मुख्य रूप से लड़कियॉ) व्यस्त हैं। जिस कारण उनकी उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित नहीं हों पाती हैं। छीजन के अन्य कारणों में बच्चों का अपने अभिभावकों के पारंपरिक व्यवसाय जैसे – कृषि कार्य, बरही का कार्य, लोहार का कार्य, कोयला व्यवसाय, कुम्हार का बर्तन निर्माण तथा मूर्ति निर्माण कार्य, गैरेज का कार्य, होटल या दूकान संचालन इत्यादि बचपन से संलिप्त हो जाते हैं। उन्हें पढ़ाई एक बोझ लगती है और वे पढ़ाई को अधूरा छोड़ कर अपने अभिभावकों के व्यवसाय में लग जाते हैं। पढाई के प्रति अभिभावकों की उदासीनता भी छीजन का गंभीर कारण बनकर सामने आया है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के द्वारा पुनः स्कूल रूआर 2023 का संचालन किया जा रहा है। विगत वर्षों में विभिन्न गतिविधियों के वाबजूद भी सभी बच्चों का विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने के प्रयास जो कि 'समग्र शिक्षा अभियान' का मुख्य लक्ष्य रहा है, पूरा नहीं हो पाया है। छीजित बच्चों की समस्या अभी भी गंभीर है। बच्चों का विद्यालय में वापस लाना एवं नियमित उपस्थिति बनाए रखना अभी एक चुनौती है। इस जिम्मेवारी को समुचित रूप से निभाने हेतु सामूहिक प्रयास क्रमशः विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, समाजसेवी, जन प्रतिनिधि, शिक्षा से जुड़े कर्मी/अधिकारी की भागीदारी से प्रारंभ करने की आवश्यकता है।इस प्रयास से प्रवासी बच्चों, विद्यालय से बाहर रह गए बच्चे एवं विशेश आवश्यकता वाले बच्चों के माता–पिता/अभिभावक तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा एवं सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे तथा 6–8 आयुवर्ग के सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हों एवं अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करें। 'स्कूल रूआर–2023' कार्यक्रम की अवधि कुल 20 दिनों की होगी, जिसका उद्देश्य 6–18 आयुवर्ग के सभी बच्चों का उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों का शत – प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना, पिछले वर्षों में कक्षा 1 से 11 तक के नामांकित सभी बच्चों का अगली कक्षाओं में शत–प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति की पुष्टि करना, प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर में नामांकन एवं ठहराव , सभी बच्चों की उपस्थिति ई–विद्यावाहिनी में दर्ज कराना एवं नियमित अनुश्रवन करना, नव–नामांकित बच्चों का शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

जिले में संभावित छीजन को रोकने के लिए 'प्रयास' कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। 'प्रयास' अनामांकित बच्चों को विद्यालय से जाड़ने तथा छीजित एवं संभावित छीजन वाले बच्चों की पहचान कर उन्हे

विद्यालय से जोड़े रखने की रणनीति है।'प्रयास' के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैः

- विद्यालय में सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजना से आच्छादित करना।

'प्रयास' के लक्ष्य निम्नलिखित हैः

- सत्र के आरंभ के प्रथम 3 माह में ट्रांजिशन का सत्यापन।
- ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद वर्ष में दो बार शिशु पंजी का अद्यतनीकरण।
- सितम्बर 2023 तक अनामांकित बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन।
- सितम्बर 2023 तक छीजन दर शून्य करना।
- सतत् एवं नियमित अनुश्रवन।
- प्रत्येक जिला के लिए APO तथा प्रत्येक प्रखण्ड के लिए BPO को नोडल पदाधिकारी नामित करना।

'प्रयास' क्रियान्वयन के चार चरण हैंः

चरण 1: विद्यालय के पोषक क्षेत्र का निर्धारण – शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय के सहयोग से BRP/CRP/BPO के द्वारा पोषक–क्षेत्र का निर्धारण। पत्र जारी बी.ई.ओ. के द्वारा किया जाना।

चरण 2: विद्यालय में हाउस का निर्माण – एक विद्यालय में न्यूनतम 2 हाउसः

- एक हाउस में अधिकतम 40 बच्चें।
- 40 से अधिक बच्चें होने पर एक अन्य हाउस का निर्माण।

चरण 3: विद्यालय न आने वाले विद्यार्थियों की पहचानः

- प्रति कार्यदिवस छात्रोपस्थित पंजी में उर्ध्वाधर उपस्थिति क्रमांक अंकन।
- छात्रोपस्थिति के लिए दैनिक उपस्थिति क्रमांक तथा अनुपस्थिति के लिए क्रॉस अंकित करना।

चरण 4: उपस्थिति सूचक चिह्न का प्रयोग – उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर उपस्थिति पंजी में निर्देशानुसार हरा सही का चिह्न तथा लाल वृत का प्रयोग करना।

विद्यालय में बच्चों के उपस्थिति में सुधार के लिए कुछ अन्य हस्तक्षेप निम्नलिखित हैः

01. प्रवेश उत्सव का आयोजन।
02. विद्यालय में प्रवेश हेतु अभिलेखों की मॉग।
03. विद्यालयों को उपस्थिति हेतु सम्मानित किया जाना।
04. वाद–विवाद, खेलकूद, हस्तकला, नृत्य–संगीत आदि का आयोजन।
05. बाल दिवस समारोह का आयोजन।
06. आज स्कूल में क्या किया?
07. नाना–नानी, दादा– दादी की कहानी उनकी जुबानी।
08. समुदाय के साथ जुडाव को प्रोत्साहन देना।
09. अभिभावक कैलेण्डर।
10. विद्यार्थियों का जन्म दिन मनाना।
11. रोचक शिक्षण गतिविधि।

12. दस बस्ता रहित विद्यालय दिवस।
13. डिजिटल माध्यमों का प्रयोग।

निष्कर्ष

छीजन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए भरपूर प्रयास तथा इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का सख्ती के साथ क्रियान्वयन करना छीजन को बहुत हद तक रोकने में सफल हुआ है। वर्तमान समय में सरकार की सक्रियता तथा समय की मॉग के अनुसार लोगों की सोच और समझ में बदलाव भी देखा जा रहा है। जो लोग जागरुक हैं वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं चाहे वे गरीब ही क्यों न हो। वे सरकार की सारी योजनायों का जैसे– कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, झारखण्ड आवासीय विद्यालय इत्यादि का पूरा लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि हजारीबाग जिले में छीजन की दर में सरकार के अथक प्रयास के कारण जबर्दस्त गिरावट देखने को मिली है लेकिन अभी भी हम शत प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

संदर्भ सूची

1. https:// w.w.w. education.gov.in, Access on 13/3/2023.
2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारत सरकार।
3. https://www.turnthebus.org>blog, Access on 20/3/2023.
4. https://www.inspirajournals.com, Access on 27/3/2023.

****